मुखबिरी ▶ कार्रवाई करने अधिकारी नहीं पहुंचे इसलिए रास्ता करवाया खराब

रेत माफिया को व्हाटसएप पर मिल जाती थी छापे की जानकारी

गोलू-छोटू के इशारे पर हो रहा था रेत का उत्खनन, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर । हिरन नदी से धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किए जाने के मामले में गोसलपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल मंगलवार को पोंडा तहसील के खिन्नी में खनिज, राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही की थी । हिरन नदी से रेत के अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर दो जेसीबी, एक दस चक्का हाइवा और एक ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त की गई थी । मौके से दोनों जेसीबी मशीनों के ऑपरेटरों को भी पकडा गया था। मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो यह बात सामने आई कि योगेन्द्र उर्फछोटू सिह एवं गोलू उर्फ बलराम के इशारे पर उत्खनन का काम करवा था । जिसके कहने पर कच्चे रास्ते में पानी डल दिया गया था ताकि रास्ता खराब हो जाये और अधिकारी उक्त स्थल पर कार्यवाही के लिये ना आ पाये।

पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि रेत माफियाओं, गुर्गो को व्हाटसएप ग्रुप में अधिकारियों के आने की सूचना पहले ही मिल जाती थी। जानकारी के अनुसार हिरन नदी से रेत के अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर पोंडा तहसील के ग्राम खिन्नी में छापेमारी की गई थी । कार्यवाही कर मौके से दो जेसीबी मशीन, रेत से आधा भरा हुआ एक दस चक्का हाइवा और रेत से भरी हुई एक ट्रैक्टर-ट्राली को जप्त किया गया था । कार्यवाही के दौरान रेत का अवैध उत्खनन करते पाये जाने पर दोनों जेसीबी के ऑपरेटर मोहम्मद रहमान उर्फ मोहम्मद रियाज मंसूरी तथा मोहित बर्मन पिता रंजीत बर्मन को पकड़ कर गोसलपुर थाने को दबोचा गया था। पूछताछ पर जेसीबी ऑपरेटर मोहित बर्मन द्वारा बताया गया की जेसीबी का वाहन मालिक अरुण प्रताप भदोरिया उर्फ सोनू भदोरिया निवासी गोसलपुर है। वह कौशल बर्मन निवासी खिन्नी के कहने पर उक्त स्थल से भसुआ रेत का उत्खनन कर रहा है। जे सी बी ऑपरेटर मोहमम्द रहमान बहना उर्फ रियाज मंसूरी द्वारा बताया गया कि उक्त जेसीबी मशीन के मालिक शुभम पटैल निवासी पनागर मोबाईल है। उक्त स्थल से भसुआ रेत का उत्खनन बलराम उर्फ गोलू सिह राजपुत निवासी चन्नौटा के कहने पर करता है। छापेमारी के दौरान ग्राम खिन्नी से लगे सीमावर्ती ग्राम कुकरई में निजी भूमी स्वामी जगमोहन पिता नारायण सिह निवासी गोसलपुर से मिटटी हटा कर भसुआ रेत का उत्खनन करना पाया गया।

योगेन्द्र ने डलवाया था रास्ते में पानी

मनीष द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल से योगेन्द्र उर्फछोटू सिह निवासी घुघरा द्वारा उत्खनन कार्य किया जाता है। उसने योगेन्द्र उर्फ छोटू पर कच्चे रास्ते में पानी डलवाया था ताकि रास्ता खराब हो जाये एवं अधिकारी लोग उक्त स्थल पर कार्यवाही के लिये ना आ पाये।

ये बने आरोपी

जांच में जे सी बी ऑपरेटर मोह. रहमान बहना, मोहित वर्मन, जेसीबी मालिक अरुण प्रताप उर्फ सोनु भदोरिया, एवं शुभम पटैल निवासी , ट्रेक्टर मालिक कौशल बर्मन एवंबलराम उर्फगोलु सिह, योगेन्द्र उर्फछोटू सिह, प्रहलाद उर्फ सानू वर्मन द्वारा अवैध रेत भसुआ का उत्खनन कर अवैध परिवहन करते हुये सप्लाई करना पाये जाने पर सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

हर-हर नर्मदे ग्रुप में पहुंचती थी छापे की सूचना

प्रहलाद उर्फसोनू बर्मन निवासी खिन्नी ने पूछताछ में बताया कि वह रेत सप्लाई का काम करता है। रेत उत्खनन करने वाले शुभम पटैल, बलराम उर्फगोलू सिह राजपूत आदि के व्हाटसएप ग्रुप हर हर नर्मदे ग्रुप से जुडा है जिसमें अधिकारियों के आने जाने की सूचना देता है। पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुट गई है। छापेमारी की सूचना किसके इशारे पर लीक होती थी समेत इस कारोबार में किस-किस की मिलीभगत है अन्य बिन्दुओं पर जांच चल रही है।

पहाड़ी में मिली मानव खोपड़ी, छानबीन में जुटी पुलिस

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत रक्षा नगर स्थित फक्कड़ बाबा मंदिर के पास पहाड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कचरे के ढेर में एक मानव खोपड़ी पड़ी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से मानव खोपड़ी को सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले लिया साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रक्षा नगर फक्कड़ बाबा मंदिर के पास पहाड़ी में बुधवार शाम एक मानव खोपड़ी पड़ी थी जब इस पर राहगीरों को नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे पुलिस को दी । मंदिर के पास मानव अवशेष मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और जांच शुरू कर दी है । पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने और प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी।

दो साल पुराना कंकाल, एफएसएल जांच होगी

पुलिस के अनुसार, खोपड़ी

को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह करीब दो साल पुरानी है। पुलिस खोपड़ी को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए भेज रही है, ताकि डीएनए और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए मृतक की उम्र, लिंग और मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके।

मिसिंग रिकॉर्ड, सीसीटीव्ही फुटेज भी खंगाले जा रहे

पिछले दो से तीन साल के भीतर क्षेत्र और आसपास के थानों से लापता हुए लोगों की सूची भी पुलिस द्वारा खंगाली जा रही है। खोपड़ी मिलने के कारण पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह तंत्र-मंत्र या अघोरी क्रियाओं से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है ताकि यह देखा जा सके कि हाल ही में वहां कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई थी।

कबरबिज्जू, जानवरों द्वारा कब्र खोदने की आशंका

पुलिस द्वारा की गई शुरुआती पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में अक्सर कबरबिज्जू व अन्य जानवर देखे जाते हैं। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि जानवरों ने किसी पुरानी कब्र को खोदकर इस खोपड़ी को निकाला होगा और यहां लाकर छोड़ दिया होगा। हालांकि, पुलिस इस मामले में हर संभावित एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी, कूदने की धमकी दी

▶ **जमीन विवाद सुलझने में देरी पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा**

नवभारत, जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर पांच में तहसील न्यायालय में लंबित भूमि विवाद और नक्शा सुधार कार्य में हो रही देरी से क्षुब्ध होकर एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच पुलिस पहुंच गई और महिला को समझाइश दी लेकिन वह जिद पर अड़ गई कि संपत्ति विवाद का तुरंत निराकरण हो और वे बार बार टावर से कूदने की धमकी देती रही। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद महिला मान गई और नीचे उतर आई जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली ।

जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 3 निवासी सोनम केवट का

भूमि के सीमांकन और सरकारी दस्तावेजों में नक्शा दुरुस्तीकरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि उसकी पैतृक जीन पर अवैध कब्जा किया गया है। बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इसी देरी और मानसिक तनाव के कारण वे वार्ड नंबर पांच स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई।

सुबह 10 :15 बजे चढ़ी, दोपहर 2 बजे उतरी

महिला मानसिक तनाव के कारण सुबह 10 :15 बजे आत्महत्या करने के इरादे से टावर पर चढ़ी थी ।जानकारी मिलते ही सिहोरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी। पुलिस महिला को सुरक्षित नीचे लाने के लिए बातचीत का प्रयास किया। मामले के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारी लाउडस्पीकर और अन्य माध्यमों से महिला को लगातार समझाइश देते रहे लेकिन महिला तुरंत न्याय की मांग पर अड़ गई थी और नीचे उतरने से इनकार कर रही थी । टीम महिला को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयासों में जुटी रही। दोपहर करीब दो बजे वे मान गई और नीचे उतर गई जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

फर्जीवाड़ा कर शासन को लगाया 39 .67 लाख का चूना

किसानों के नाम बनाये जाली दस्तावेज, फर्जी नियुक्तियां दिखाई, 6 डायरेक्टर, 3 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी ने जमकर फर्जीवाड़ा किया। किसानों के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां दिखाकर शासन को 39,67,781 की आर्थिक चपत लगाई है। पाटन पुलिस ने मामले में कंपनी के 6 डायरेक्टर, 3 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ठाकुर की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था। जांच टीम की रिपोर्ट में कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया। कंपनी के डायरेक्टरों ने प्रबंधक मनीष चौरसिया, कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा और अकाउंटेंट कमलेश साहू के नाम पर दो अलग-अलग तारीखों 20 फरवरी 2023 और 1 दिसम्बर 2022 में नियुक्ति आदेश जारी

किए। इन दोनों आदेशों पर अलग-अलग संचालकों के हस्ताक्षर थे, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में इस नियुक्ति से जुड़ा कोई प्रस्ताव या निर्णय का दस्तावेज मिला ही नहीं।

बैंक खाते में भी फर्जीवाड़ा

उपार्जन कार्य के दैनिक खर्चो के लिए नियमों के तहत कंपनी के खाते में 50 लाख की राशि या क्रेडिट लिमिट होना अनिवार्य है। कंपनी ने इसके लिए बैंक का एक खाता नंबर जमा किया था। जांच में पता चला कि वह खाता नंबर बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड का है ही नहीं।

किसानों की फर्जी सूची, नंबरों पर संपर्क करने पर हेराफेरी उजागर

जांच में कंपनी ने किसानों की जो सूची सौंपी थी, उसमें भारी लापरवाही मिली। सूची में शामिल किसानों के नाम के आगे न तो उनका पता जिला, तहसील या ग्राम लिखा था और न ही उनके द्वारा जमा किए गए शेयर की जानकारी थी। जांच दल के सदस्यों ने जब सूची में दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया, तो फोन उठाने वाले लोगों ने साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे बेगमगंज कंपनी के सदस्य नहीं हैं और न ही इस बारे में कुछ जानते हैं।

डायरेक्टर ने साथियों के साथ रची साजिश

जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ग्राम उड़ना पाटन निवासी संदीप दुबे ने अपने साथी डायरेक्टरों और कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। इन लोगों ने प्रासंगिक व्यय, हैंडलिंग और कमीशन पत्रक के माध्यम से कुल 39,67,781 की राशि का अवैध रूप से भुगतान प्राप्त कर लिया। पाटन पुलिस ने बेगमगज सीड पोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के 6 डायरेक्टर सचिन दुबे, रंजना पांडे, संदीप दुबे , अंशुल बर्मन, नेहा पांडे , उमा सिंह एवं कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मनीष चौरसिया, कमलेश साहू, नीलेश विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

वृद्ध व वृद्धा को मिला अग्रिम जमानत का लाभ

जबलपुर। सागर जिले के जयसिंह नगर में दर्ज आपराधिक प्रकरण में आरोपी चार व्यक्तियों के द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था। सुनवाई के दौरान दो आवेदको ने अग्रिम जमानत आवेदन को वापस ने लिया था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने दो अन्य आवेदनों की सुनवाई के बाद 70 वर्षीय वृध्दा तथा 65 वर्षीय वृध्द को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है। सागर निवासी अनुराधा,संतोष, रामरानी और ओमकार ने सागर जिले के जयसिंहनगर थाने में धारा 296 (इ), 351(3), 118(1), 117, 118(2) और 3 (5) के तहत दर्ज अपराधिक प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किये थे। सनुवाई के दौरान अनुराधा और संतोष ने अग्रिम जमानत को वापस लेते हुए आत्मसमर्पण करने की स्वतंत्रता देने का आग्रह किया था। इसके अलावा नियमित जमानत आवेदन का शीघ्र निपटारा किये जाने की प्रार्थना की गयी थी। एकलपीठ ने प्रार्थना को उचित मानते हुए उसे स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि आवेदक राम रानी की आयु 70 तथा ओंकार की उम्र 65 साल है। उन पर सिर्फ गाली-गलौज करने का आरोप है। आवेदिका राम रानी पर लाठी से हमला करने का आरोप भी है परंतु शिकायतकर्ता को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। एकलपीठ से आग्रह किया गया था कि दोनो को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाये। शासकीय अधिवक्ता ने केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विरोध किया। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद दोनों को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया है।

बिजली चोरी पकड़ने गई टीम से झूमाझपटी, महिला अफसर से अभद्रता

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत रिछाई में बिजली चोरी और मीटर की जांच करने पहुंचे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की टीम के साथ आरोपी ने न सिर्फ झूमाझपटी की, बल्कि महिला अधिकारी के साथ अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

रांझी पुलिस के अनुसार, शहर संभाग उत्तर के सहायक यंत्री विवेक नेमा और अधारताल-2 वितरण केंद्र की महिला कनिष्ठ यंत्री रूपाली ज्योतिषी अपनी टीम के साथ सुमन नगर मेन रोड रिछाई पहुंचे थे। टीम में आउटसोर्स कर्मचारी

मुस्ताक अली, अंकित पटेल, रोहित अहिरवार, आजाद कोल और मयंक मनवारे भी शामिल थे। टीम वहां डी.के. तिवारी और कौशल्या तिवारी के घरेलू व गैर-घरेलू कनेक्शनों के मीटरों की जांच कर रही थी। तभी वहां राघव तिवारी नाम का व्यक्ति आया और अभद्रता करने लगा। आरोपी ने शासकीय कार्य में लगे वाहनों एमपी 20 जेड एल 6973 और एमपी 20 एल बी 3123 की चाबियां जबरदस्ती निकाल लीं। विरोध करने पर उसने महिला जेई और सहायक यंत्री से अभद्रता कर दीं और जान से मारने की धमकी देकर डराने का प्रयास किया।

अफसरों की मीटिंग में घुसकर दी धमकी

आरोपी राघव तिवारी इसके बाद सीधे अधारताल संजय नगर स्थित संभागीय कार्यालय पावर हाउस पहुंच गया। वहां अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक चल रही थी। आरोपी ने मीटिंग में घुसकर भी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अभद्रता की और खुलेआम अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने की धमकी दी।

दोबारा पकड़ी गई बिजली चोरी

विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राघव तिवारी के परिसर में पहले भी 11 मार्च 2026 को मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया था। इस बार आरोपी ने बिना किसी दफ्तरी प्रक्रिया के, गैरकानूनी तरीके से पुराना मीटर हटाकर दूसरा मीटर लगा लिया था और अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहा था। रांझी पुलिस ने सहायक यंत्री की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पमरे की ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग 5 .30 मिलियन टन रही

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल द्वारा ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही वाणिज्य एवं परिचालन विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मंडलों में माल ढुलाई बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप मई 2026 के दौरान पश्चिम मध्य रेल ने 5.30 मिलियन टन ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग दर्ज की। यह उपलब्धि गत वर्ष के इसी माह में की गई 4.97 मिलियन टन लोडिंग की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी माल ढुलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 58.07 मिलियन टन ओरिजिनेटिंग फ्रेट लोडिंग का रिकॉर्ड स्थापित किया था।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि महाप्रबंधक के सतत मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के साथ-साथ वाणिज्य और परिचालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जबलपुर, भोपाल तथा कोटा मंडलों में किए गए समर्पित और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कुलगुरु को सौंपा ज्ञापन

नवभारत, जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कुलगुरु को एक संयुक्त आवेदन सौंपकर उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन प्रदान करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2026 और 12 मई 2026 के तहत पेंशन नियम 1976 के रूल 64 के अनुसार अंतरिम पेंशन देने का निर्देश विश्वविद्यालय व शासन को दिया गया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने केवल एक औपचारिक पत्र आयुक्त, उच्च शिक्षा भोपाल को जारी कर औपचारिकता पूरी कर ली, जबकि शासन स्तर से इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है।

दावा झूठा बताया

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 12 मई 2026 को हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया था कि 18 अप्रैल 2026 के आदेश का कंप्लायंस किया जा रहा है। परंतु 27 अप्रैल 2026 को दिए गए संदर्भित पत्र के बाद भी 17 कर्मचारियों को आज तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय का लिखित जवाब झूठा सिद्ध हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कुलगुरु से अनुरोध किया है कि सभी 17 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अतिशीघ्र तैयार कर एक सप्ताह के भीतर भोपाल भेजे जाएं। इस संयुक्त आवेदन को सौंपने वालों में एम.एल. रैकवार, ओमप्रकाश डुमार, के.के. कोष्टा, सुनील मिश्रा, आर.पी. कोरी, दिवाकर मेमने, सुदामा प्रसाद यादव, रामफल शर्मा और वशिष्ठ प्रसाद गोंड़ शामिल हैं।

आक्रोश ▶ सीएम डॉ. मोहन यादव के बयान पर भड़का गुस्सा

युवा कांग्रेस ने हनुमानताल परिसर में किया सद्बुद्धि यज्ञ

नवभारत,जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कथित रूप से की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर युवा कांग्रेस ने बुधवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया के आह्वान पर जबलपुर शहर युवा कांग्रेस ने हनुमानताल परिसर में 'सद्बुद्धि यज्ञ' का आयोजन कर मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और उनके बयान के खिलाफ नाराजगी जताई। आयोजन में विधिवत हवन-पूजन किया गया और धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री के नाम की आहुतियां दी गई।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष सोनू कुकरेले और अभ्युत बाजपेयी ने

कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक और गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी भाषा और व्यवहार में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ अभद्र और अशोभनीय भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और युवा कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। यदि भाजपा नेताओं द्वारा विपक्ष के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा और व्यवहार जारी रहा, तो युवा कांग्रेस आने वाले दिनों में जिलेभर में व्यापक आंदोलन करेगी। इस अवसर पर भानु यादव, राजा रैकवार, मोंटी वंशकार, कपिल भोजक, नितिन सिंह, सौरभ यादव, शिशांत सिंह ठाकुर, गौरव ठाकुर, प्रवीण चौधरी, राजेश केसरवानी, शिवम् यादव, सागर भारद्वाज, आयुष नेमा, रोहित पसेरिया, नयन गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

आधा दर्जन फरार आरोपी हुए ईनामी

जबलपुर। शहपुरा थाने में दर्ज आबकारी एक्ट, आईएन एक्ट के प्रकरणों में लंबे समय से फरार आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनाम घोषित कर दिया है ।

जानकारी के अनुसार आबकारी एक्ट में वीरेन्द्र पिता सुक्कू काछी, सोनू सिंह पिता गुड्डा सिंह ठाकुर दोनों निवासी निवासी रांझी, राहुल पिता रामगिरी गोस्वामी निवासी ग्रीन सिटीमाढोताल, मनीष पिता श्रीराम गिरी गोस्वामी पर तीन-तीन हजार, आईएन एक्ट में फरार कमलेश जैसवाल पिता फूलचंद जैसवाल निवासी झण्डा चौक मेन रोड शहपुरा एवं राजा राम सिंह पिता भगवान सिंह निवासी ग्राम मनकेडी पर दो-दो हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है ।